

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5738/2003/अजमेर खलील बनाम शहाबुदीन व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 01.06.2022 | <p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री रामनिवास जाट, सदस्य</p> <p>उपस्थित श्री अजीत सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी श्री वी०पी०सिंह राजावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p>प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अति० कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-10-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने ग्राम बडगांव में स्थित विवादित भूमि तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार से जरिये विक्रय पत्र क्रय कर वर्षों पूर्व कब्जा प्राप्त कर लिया जो निगरानी याचिका के पैरा संख्या 2 में वर्णित है। लेकिन विक्रेता द्वारा विक्रय कर कब्जा प्रार्थीगण को सौंपी गयी भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुये राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाकर उसे सिवायचक दर्ज करते हुये अप्रार्थीगण को आवंटित कर दी गयी। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय अति० कलेक्टर, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 17(4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 का प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय अति० कलेक्टर, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.10.2003 से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी ।</p> <p>विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है</p> | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5738/2003/अजमेर खलील बनाम शहाबुदीन व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| | <p>कि विवादित आराजीयात की रिकार्डेड खातेदार काशतकार उर्वशी पुत्री कल्याण सिंह थी, जो संलग्न चौसाला जमाबंदी एवं वर्किंग एवं वर्किंग जमाबंदी से सिद्ध है। तत्कालीन खातेदारान से प्रार्थीगण ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। कब्जा प्राप्ति की दिनांक से आज दिनांक तक लगातार प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काशत चले आ रहे है, जो खसरा परिवर्तनशील संतव 2056-59 से सिद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित आराजी क्रय करते समय विक्रेता रिकार्डेड खातेदार काशतकार थी। जिसने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात का कब्जा सौंप दिया तब से प्रार्थीगण लगातार काबिज काशत चले आ रहे है अर्थात बरवक्त आवंटन विवादित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काशत की भूमि थी। ऐसी स्थिति में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को विवादित आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और विक्रेतागण दिनांक 14.01.99 तक विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काशतकार दर्ज थे। तत्पश्चत राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने दिनांक 15.01.99 को विवादित आराजी को सीलिंग अवाप्तशुदा बताते हुये भूमि सिवायचक अंकित कर दी। प्रार्थीगण बोनाफाइड क्रेता होकर काबिज काशत चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में भूमि न तो सीलिंग में अवाप्त की जा सकती थी और ना ही किसी अन्य को आवंटित की जा सकती थी। आवंटन आदेश दिनांक 15.03.2003 प्रार्थीगण को सुने बिना पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।</p> | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5738/2003/अजमेर खलील बनाम शहाबुदीन व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| | <p>विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन दिनांक 15.01.1999 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानकर सिवायचक दर्ज की गयी भूमि से ही नियमानुसार किया गया है। उक्त आवंटन राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 18 एवं 21 के नियमों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने अपने आपको एक भूमिहीन अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार बताया है। अप्रार्थीगण ने भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य गलत प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई तथ्य छिपाया था। आवंटन सलाहकार समिति ने भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उसकी पूर्ण जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही नियमानुसार भूमि का आवंटन किया था। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के दिनांक 01.01.1973 को प्रभाव में आने के पश्चात प्रार्थीगण ने विवादित आराजीयात कय की है। अतः प्रार्थीगण को सीलिंग नियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार बोनाफाईड क्रेता नहीं कहा जा सकता है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।</p> <p>इस प्रकरण से संबंधित न्यायालय अति० कलेक्टर, अजमेर की पत्रावली के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट होती है कि न्यायालय अति० कलेक्टर, अजमेर ने प्रकरण का पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि -</p> | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5738/2003/अजमेर खलील बनाम शहाबुदीन व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| | <p>“ हम प्रार्थीगण अभिभाषक के उपरोक्त तर्कों से सहमत नहीं है, क्योंकि राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के प्रावधाननुसार दिनांक 01.01.1973 के बाद के विक्रय पत्रों को बोनाफाईड नहीं माना गया है। विवादिद आराजियात प्रार्थीगण ने दिनांक 01.01.1973 के बाद अर्थात न्यू सीलिंग एक्ट 1973 के लागू होने के बाद विवादित आराजियात कृषि की है। आवेदकों को राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के नियम 17(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के जरिये खतेदारी अधिकार के संबंध में चाहे गये अनुतोष पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, आवेदक को अनुतोष हेतु सीलिंग प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। आवंटन कमेटी द्वारा सीलिंग में अवाप्त सिवाचयक भूमि को ही पात्र भूमिहीन व्यक्ति यों को ही आवंटन किया है। अप्रार्थीगण ने आवंटन नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया विवादित आवंटन निमयानुसार है। इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन/ हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं।”</p> <p>इस प्रकार इस प्रकरण में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, अजमेर के समक्ष अपील धारा 17(4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी थी। परन्तु इस संबंध में विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि अपीलांत पक्ष की मूल सीलिंग प्रकरण में पारित निर्णय जिसके आधार पर विवादित भूमियां सीलिंग सरप्लस घोषित व अधिग्रहित की गयी है जब तक उसे निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक धारा 17(4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत इस प्रकार का अनुतोष प्रदान करना विधिक रूप से संभव नहीं है। उक्त सीलिंग प्रकरण में जो भूमियां सरप्लस</p> | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/5738/2003/अजमेर खलील बनाम शहाबुदीन व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| | <p>घोषित की गयी है उन्हें अधिग्रहण किया जाकर सिवायचक दर्ज किया गया है। उसके उपरांत ही संबंधित आवेदक व्यक्तियों को पात्रता के आधार पर नियमानुसार सक्षम आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही की गयी है। उक्त आवंटन के संबंध में किसी शर्त का उल्लंघन हुआ हो या आवंटन फर्जी तरीके से कराया गया हो या कोई तथ्य छिपाकर धोखे से आवंटन किया गया हो। इस प्रकार की स्थिति को भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं करवाया गया है। जहां तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की वैधानिकता का संबंध है उसके संबंध में भी मूल सीलिंग प्रकरण में पूर्ण परीक्षण व विवेचन करने के उपरांत संबंधित सीलिंग प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण किया गया था। अतः उक्त विक्रय पत्रों के संबंध में धारा 17(4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की इस कार्यवाही में किसी भी प्रकार से कोई पृथक से निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>अतः उक्त समस्त विवेचन व परीक्षण के आधार पर यह पाया जाता है कि न्यायालय अति०कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2003 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं की गयी है जिसके आधार पर उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सके। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय अति०कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 20.10.2003 यथावत रखा जाता है।</p> <p>निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रामनिवास जाट) सदस्य</p> | |

